कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 295/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 29.07.2026

थाना महराजगंज, जनपद- आजमगढ़

थाना महराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता किसानों से किराये पर लेकर बेची गयी ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

ट्रैक्टर ट्रॉली हड़पकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, बेची गई ट्रॉलियां बरामद

ऑनलाइन गेम के कर्ज चुकाने के लिए रची साजिश, किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेचने वाले 02 गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण थाना महराजगंज पुलिस को ट्रैक्टर ट्रॉली हड़पकर बेचने के मामले में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.07.2026 को वादीगण 1. गुलाब यादव पुत्र सूरत यादव, 2. उषा देवी पत्नी मोतीलाल, 3. जौहर यादव पुत्र स्व. तपसी यादव एवं 4. प्रवेश चौहान पुत्र बाढ़ू चौहान, निवासीगण ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1-सुनील यादव पुत्र सुभाष यादव ने उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली मांगकर ले ली तथा अपने साथियों 2-उपेन्द्र यादव, 3-अंकुल यादव एवं 4-गोलू उर्फ संगम मौर्य के साथ मिलकर उसे बेच दिया। ट्रॉली वापस मांगने पर गाली-गलौज एवं धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 183/2026, 184/2026, 185/2026 एवं 186/2026 में धारा 316(2)/352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

दिनांक 29.07.2026 को थाना महराजगंज पुलिस टीम द्वारा गोवर्धन ढाला के पास से अभियुक्त **1. सुनील यादव पुत्र सुभाष यादव** एवं **2. उपेन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव**, निवासीगण ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ को समय 04:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ एवं अभियुक्तों की निशानदेही पर बेची गई ट्रैक्टर ट्रॉलियां **ग्राम नैनीजोर थाना रौनापार** तथा **ग्राम प्रतापपुर थाना महराजगंज** से बरामद की गईं।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि वे सब AVITOR Game खेलते थे जिसमें उनके ऊपर ढेर सारा कर्ज हो गया था तो अभियुक्तों ने कर्ज उतारने का तरीका सोचा कि किसानों से उनके ट्रैक्टर की ट्रालियां 15000/- रुपये प्रतिमाह किराये पर लेते थे और घर परिवार में समस्या की बात बता कर ट्रालियां बेच देते थे। इस प्रकार ट्रालियां बेचकर अपना कर्ज उतार लिये।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 183/26 धारा 316(2)/317(2) बीएनएस थाना महराजगंज आजमगढ़।

2- मु0अ0सं0- 184/26 धारा 316(2)/352/317(2) बीएनएस थाना महराजगंज आजमगढ़।

3- मु0अ0सं0- 185/26 धारा 316(2)/ 317(2) बीएनएस थाना महराजगंज आजमगढ़।

4- मु0अ0सं0- 186/26 धारा 316(2)/352/317(2) बीएनएस थाना महराजगजं आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुनील यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी- नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

2.उपेन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी- नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

सुनील यादव पुत्र सुबाष यादव उम्र 18 वर्ष निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	183/26	316(2)/317(2) बीएनएस	महराजगंज	आजमगढ
2	184/26	316(2)/352/317(2) बीएनएस	महराजगंज	आजमगढ
3	185/26	316(2)/ 317(2) बीएनएस	महराजगंज	आजमगढ
4	186/26	316(2)/352/317(2) बीएनएस	महराजगंज	आजमगढ

उपेन्द्र यादव पुत्र रामजीत यादव निवासीगण नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	183/26	316(2)/317(2) बीएनएस	महराजगंज	आजमगढ
2	184/26	316(2)/352/317(2) बीएनएस	महराजगंज	आजमगढ
3	185/26	316(2)/ 317(2) बीएनएस	महराजगंज	आजमगढ
4	186/26	316(2)/352/317(2) बीएनएस	महराजगंज	आजमगढ

बरामदगी-

1- बेची गयी 03 ट्रालियां

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष जयप्रकाश, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, उ0नि0 अवधेश कुमार यादव, का0 अनिल कुमार, का0 अजीत कुमार सिंह, का0 प्रदीप यादव, रि0का0 कुशल सिंह, रि0का0 अभिरंजन कुमार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।